मार्शल का त्रिस्तरीय नागरिकता सिद्धान्त

राकेश कुमार सिंह,

शोधार्थी,
राजनीतिशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

शोध सारांश

टी0एच0मार्शल द्वारा 1949 में दी गई व्याख्यानमाला नागारिकता के सिद्धान्त के सन्दर्भ में एक प्रस्थान बिन्दु है। इसमें सर्वप्रथम नागरिकता के अन्तर्गत सामाजिक–आर्थिक पक्ष को जोड़ा गया। इस बदलाव को राजनीतिक चिन्तन में न केवल मान्यता मिली अपितु राजनीति के व्यवहार में भी विश्व के विभिन्न देशों ने अपने संविधान एवं नीतियों के माध्यम से आत्मसात करने का प्रयास किया।

वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जहाँ एक ओर मंहगी चुनाव प्रणाली ने राजनीतिक भागीदारी के एक पक्ष को धुंधला कर दिया है वहीं दूसरी ओर बाजारवाद के युग में नागरिक अधिकार की पूर्ति हेतु नागरिकता के सामाजिक– आर्थिक पक्ष की महत्ता और बढ़ गई है। अतः नागरिकता को साकार करने के लिए मार्शल की नागरिकता सम्बन्धी 'त्रिभुजीय संकल्पना' को आधार बनाकर और आगे बढ़ने की गुंजाइश बनी हुई है।

कुंजी शब्द – *नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, कल्याणकारी राज्य, स्पीनहैम्डलैण्ड प्रणाली, बेवरिज रिर्पोट, बटलर एक्ट।*

रूसों की पुस्तक 'सोशल कान्ट्रैक्ट' के प्रकाशन के लगभग दो सौ वर्ष पश्चात नागरिकता पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन 1949 में टी0एच0मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस में समाजशास्त्र के प्रोफोसर टी0एच0मार्शल ने नागरिकता पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक व्याख्यानमाला दी थी जो 'सिटीजनशिप एण्ड सोशल क्लास' शीर्षक से 1950 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। नागरिकता के सन्दर्भ में सामान्तवादी युग से कल्याणकारी राज्य तक नागरिकता के ऐतिहासिक विकास का न केवल यह प्रथम प्रयास था अपितु नागरिता के सामाजिक–आर्थिक पहलू को जोड़ते हुए नागरिक अधिकारों को एक नई दिशा प्रदान की।

टी0एच0 मार्शल ने नागरिकता को तीन भागों में विभाजित करते हुए कहा कि इस संदर्भ में तर्क की अपेक्षा इसे इतिहास अधिक स्पष्ट रूप में व्याख्यायित करता है।[1] उन्होने नागरिकता के तीन तत्व नागरिक (Civil), राजनीतिक (Political), और सामाजिक (social) बताये। नागरिक सम्बन्धी तत्व व्यक्ति के उन अधिकारों से सम्बन्धित है जो उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, जैसे व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व विश्वास की स्वतंत्रता, सम्पत्ति व वैधानिक संविदा की स्वतंत्रता और न्याय पाने का अधिकार। इसमें अंतिम अधिकार अन्यों से इस सन्दर्भ में भिन्न है कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाधीन अन्य व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्रदान करता है। नागरिकता का दूसरा तत्व राजनीतिक है। इसका

तात्पर्य है कि राजनीतिक सत्ता में भागीदार प्राप्त करने का अधिकार। यह अधिकार पार्लियामेन्ट या काउन्सिल के लिए चुने जाने अथवा चुनने के अधिकार में निहित है।

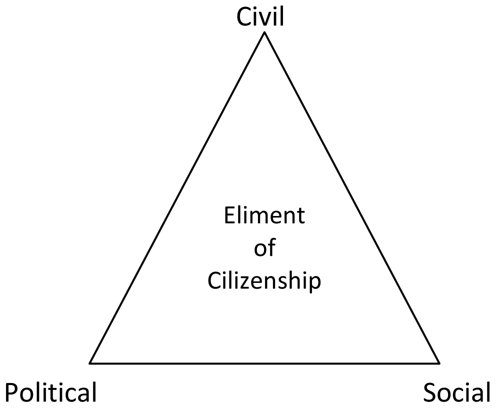

नागरिकता के सामाजिक तत्व का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम आर्थिक कल्याण व सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो ताकि वह समाज में गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके।

टी0एच0मार्शल का यह पूरा अध्ययन इंग्लैण्ड में नागरिकता के विकासक्रम को अधार बनाकर प्रस्तुत किया गया था। अपने विस्तृत अध्ययन में मार्शल स्पष्ट करते हैं कि नागरिक अधिकारों का 18वीं शताब्दी, राजनीतिक अधिकारों का 19वीं शताब्दी और सामाजिक अधिकारों का विकास 20वीं शताब्दी में हो रहा था। यद्यपि इनके स्तरों के कालक्रम के निर्धारण को घटनाक्रम के आधार पर थोड़ा आगे–पीछे करने की गुंजाइश को भी स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ– 1795 में गरीबों के लिए लागू 'स्पीनहैम्लैण्ड प्रणाली' सामाजिक अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण भाग है।[2] 19वीं सदी में कामगारों की सुरक्षा बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े कानून सामाजिक अधिकारों से ही जुड़े थे। यद्यपि 1944–46 के कानूनों ने मार्शल को विशेष तौर पर प्रभावित किया जिसे आधार बनाकर मार्शल ने अपने नागरिकता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। 1942 का बेवरिज रिर्पोट जहाँ लोककल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वहीं 1944 का बटलर एक्ट सबके लिए सेकेन्ड्री एजूकेशन की व्यवस्था करता है।[3]

इस प्रकार मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों का पिछले शताब्दियों में हुए विकास को दर्शाया। वे यह भी मानते हैं कि नागरिकता के अधिकारों के विस्तार के साथ ही साथ नागरिकता प्राप्त करने वाले वर्ग का भी विकास हुआ। पहले नागरिक व राजनीतिक अधिकार केवल श्वेत व सम्पत्तिशाली लोगों को ही प्राप्त थे किन्तु धीरे–धीरे ये अधिकार महिलाओं, श्रमिकों, अश्वेतों व दूसरे ऐसे समूहों को भी प्राप्त हुए।

मार्शल यह बताते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक अधिकार की मांग ने पूंजीवाद को नियंत्रित करने का कार्य किया है। अतः नागरिकता की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए लोककल्याणकारी राज्य का होना आवश्यक है। उदारवादी लोक कल्याणकारी राज्य सभी को नागरिक, राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों की गारण्टी देता है। इस तरह कल्याणकारी राज्य व्यवस्था इस बात पर बल देता है कि राज्य का प्रत्येक सदस्य स्वयं को समाज का पूर्ण सदस्य माने और समाज के सामान्य जीवन में भागीदारी करने और आनन्द लेने में खुद को समर्थ्य माने। मार्शल मानते हैं कि अधिकारों की उपर्युक्त कड़ी त्रय में यदि कोई भी कड़ी कमजोर होगी तो लोग हाशिए पर चले जायेंगे और भागीदारी करने में असमर्थ होंगे। इसलिए एन्ड्रयू लिंकलेटर लिखते है कि मार्शल के लेखन में आधुनिक राज्य की नागरिकता से सम्बन्धित द्वन्द्वात्मकता निहित है। कानूनी अधिकारी, भागीदारी के अधिकार के बिना अपूर्ण हैं, लेकिन उनके लिए यह सीमित महत्व का था जहाँ सत्ता और सम्पत्ति की गहरी असमानता ने बड़ी संख्या में नागरिकों को उनकी कानूनी और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने से रोक दिया था।[4]

बीसवीं शताब्दी में नागरिकता के साथ आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुड़ जाने से स्थिति काफी जटिल व रोचक हो गयी। नागरिकता और उदारवाद के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। स्मरणीय है कि नागरिकता का आधार समानता है जबकि उदावाद का आधार व्यक्ति विशेष की क्षमता है, जो असमान्ता की ओर ले जाता है। यही नहीं सामाजिक अधिकारों का विस्तार केवल गरीबों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से लड़ना ही नहीं था अपितु सामाजिक पूंजी का समतावादी वितरण कर समता मूलक समाज की स्थापना का आधार भी निहित था, जिससे यह उदारवाद व पूंजीवादी मूल्यों का प्रतिरोधी हो जाता है।

नागरिकता के समाजिक अधिकार ने कानून के माध्यम से पूंजीवाद में सुधार लाने का प्रयास किया। कल्याणकारी राज्य के माध्यम से दी जाने वाली मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बेकारी भत्ता, समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन, मजदूर संगठनों को अधिकार व समाजिक सुरक्षा के अन्य कानूनों ने श्रमिका वर्ग व पूंजीपति वर्ग के मध्य सम्बन्धों में काफी परिवर्तन ला दिया। अब इन दोनों के मध्य होने वाले संघर्षों के मध्य राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी। श्रमिकों एवं शोषित वर्ग की ओर से उठने वाले प्रश्नों के समाधान का दायित्व अब राज्य ने ग्रहण कर लिया। यही नहीं नागरिकता के समाजिक अधिकार के पक्ष ने मार्क्सवाद द्वारा उठाये जाने वाले प्रश्नों का भी समाधान लोक कल्याण के माध्यम से करने का प्रयास किया जाने लागा।

यद्यपि नागरिकता का सामाजिक पक्ष असमानता को तो समाप्त नहीं कर पाया और न ही निजी सम्पत्ति व उसके अर्जन के स्वरूप में पूंजीवाद के आर्थिक आधार में कोई मौलिक परिर्वतन ही कर पाया। बावजूद इसके कई प्रकार की सामाजिक असमानताओं को कम करने में सफल रहीं और कई असमानताओं को मान्यता भी प्रदान की। मार्शल के अनुसार आधुनिक नागरिकता के सिद्धान्त ने Hyphentend System स्थापित किया है। यह एक ओर वर्ग, पद और शक्ति की वास्तविक असमानता और दूसरी ओर कल्याणकारी नगारिकता के उत्तरोत्तर विस्तार का मिला–जुला स्वरूप है।

मार्शल अपने व्याख्यान में नागरिकता के सामाजिक तत्व पर अधिक जोर देते नजर आते हैं किन्तु मार्शल इस बात पर विशेष बल देते हैं कि नागरिकता के तीनों पक्ष परस्पर पूरक हैं क्योंकि आम शिक्षा, स्वास्थ्य की न्यूनतम गारण्टी के अभाव में नागरिक अपने राजनीतिक व नागरिक अधिकारों का समुचित प्रयोग करने में सफल नहीं हो सकेंगे। फिर भी मार्शल के व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य नागरिकता के सामाजिक पक्ष को उजाकर करना था। और अन्त में मार्शल कहते हैं कि–

"it has been my aim in these lectures to throw a little light on one element which I belive to be of fundamental importence, namely the impact of rapidly developing concept of rights of citizenship on the structure of social inequality.''[5]

डेरेक हीटर भी नागरिकता के सामाजिक पक्ष को मार्शल के सिद्धान्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष मानते हुए लिखते हैं कि–

"----------Social rights,previously virtually ignored as a component of citizenship; are infact essential for the effectiv enjoyment of civil and political rights, because poverty and ignorance inevitably impair the will and opportunity to benifit from them.''[6]

मार्शल अपने नागरिकता सिद्धान्त की त्रिभुजीय धारणा के प्रतिपादन में इस बात को नहीं समझ सके कि नागरिकता का सामाजिक पक्ष अन्य दो पक्षों– नागरिक एवं राजनीतिक से

पूरी तरह भिन्न है। जहाँ नागरिक पक्ष राज्य के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है, वहीं नागरिकता का सामाजिक पक्ष ऐसे अधिकारों की स्थापना करता है, जिन्हे राज्य पूरा करता है। सामाजिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को अधिकतम् टैक्स लगाना होगा और यह टैक्स नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार का हनन करते हैं। इस तरह से मार्शल नागरिकता के जिन पक्षों को परस्पर पूरक मानते हैं, वे वास्तव में परस्पर विरोधी हैं।[7]

यही नहीं मार्शल के नागरिक सिद्धान्त में सामाजिक पक्ष को समाहित करने के उपरान्त यह माना गया कि अब उदारवाद की जो आलोचना मार्क्सवादी या समाजवादी विचारवाद के द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी उसका समाधान हो सकेगा। साथ ही राज्य पर सामाजिक दायित्व डालने से उसके उदारवादी स्वरूप में आगे नकारत्मक विकास नहीं होगा किन्तु नव उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद एवं मार्क्सवाद के विकास ने इस संभावना को झुठला दिया।

मार्शल ने अपने लेखमाला में नागरिकों के अधिकार व राज्य के कर्तव्यों की विशद् चर्चा प्रस्तुत की है किन्तु नागरिक दायित्व पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला है। उदावादी लेखक सामान्यतः राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए नागरिक अधिकारों को बढ़ाचढ़ाकर रेखांकित करते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि नागरिक अधिकार व कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। समुदायवादियों के दृष्टिकोण से अधिकारों पर अधिक जोर देना व्यक्तियों के समुदाय से सम्बन्ध को कमजोर बनाना है। एटजिओनी एवं सेलबोर्न ने समाज में बढ़ते हुए अपराध, ड्रग्स की आदत एवं परिवारों के विघटन हेतु नागरिकता के अधिकारों पर अधिक महत्व देने एंव समुदाय के प्रति उत्तरदात्वि हीनता को जिम्मेदार माना है। विल किमलिका भी मार्शल के नागरिक सि़द्धांत को *'निष्क्रिय या निजी नागरिकता'* कहते हैं। क्योंकि यह निष्क्रिय अधिकारों पर जोर देता हैं साथ ही इसमे सार्वजनिक भागीदारी करने के किसी भी उत्तरदायित्व का अभाव है, अब भी व्यापक रूप में इसका समर्थन किया जाता है। जब लोगों से यह पूछा जाता है कि नागरिकता से उनका क्या मतलब है, तो उनके द्वारा दायित्वो की भागीदारी की जगह अधिकारों के बारे में बात करने की अधिक सम्भवना होती है। जैसा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने एकबार कहा था, अधिकांश लोगों के लिए नागरिकाता का अर्थ ''अधिकारों को रखने का अधिकार है।''[9]

बावजूद इसके मार्शल द्वारा प्रतिपादित नागरिकता की त्रिभुजीय धारणा इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होने नागरिकता के सामाजिक पक्ष को उदघटित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जो नागरिकता पर उस समय पिछले दो सौ वर्षों में किया गया सबसे ठोस कार्य था जिसने नागरिकता के चिन्तन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। साथ ही मार्शल का यह अध्ययन निरा तर्काधारित न होकर ऐतिहासिक व अनुभव मूलक था जो ब्रिटेन के अध्ययन पर आधारित था। किन्तु मार्शल की यह त्रि–स्तरीय नागरिकता का सिंद्धात आधुनिक व समकालीन राज्यों पर भी लागू होता है।

सन्दर्भ

1. Marshal T.H. and Bottomore Tom: 'Citizenship and Social Class' Pluto Press,London 1992,P.8
2. वही Marshal, P. 14
3. Heater Derek: 'A Brief History of Citizenship' Newyork University Press, Newyork, P. 114
4. Linklater Andrew: 'Critical Theory and world Politics', Routledge, Abingdon, Oxon 2007, P. 106
5. वही Marshal, P. 49

6. वही ,Heater, P. 115
7. वरमानी आर0सी0, 'वैश्वीकृत संसार में नागरिकता', गीतांजली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
8. 2008, P. 57
9. दधीच नरेश, 'समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्त,' रावत पब्लिशिंग जयपुर 2015, P. 201
10. किमलिका विल, 'समकालीन राजनीतिक दर्शन–एक परिचय', पियर्सन, दिल्ली 2010, P. 232

Copyright © 2017, Rakesh Kumar Singh. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.